

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक १५/२५

दिनांक २५.९.२५

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री परमानन्द पुजा हरनामारापण पुत्र/पुत्री/पत्नी हरनामारापण न प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम शेखापुरा पटवारी मण्डल बूडला तहसील छबड़ा  
जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् २०७६-७७ के खाता संख्या १.६ में खातेदार/गैरखातेदार का  
नाम/प्रति परमानन्द पुजा हरनामारापण अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से  
परमानन्द पुजा हरनामारापण अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी बूडला  
से करवाने पर पटवारी ने परमानन्द पुजा हरनामारापण के बजाय परमानन्द पुजा हरनामारापण  
करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में परमानन्द पुजा हरनामारापण  
के बजाय परमानन्द पुजा हरनामारापण करना उचित बताया।  
अतः पटवारी-एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956  
एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत  
ग्राम शेखापुरा के खाता संख्या १.६ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/प्रति परमानन्द पुजा हरनामारापण  
परमानन्द पुजा हरनामारापण के स्थान पर सम्मानजनक रूप से परमानन्द पुजा हरनामारापण दर्ज करने का  
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छबड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)